न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

पीठासीन अधिकारीः– सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः–206/2024

प्रार्थिनीः–

चुन कंवर पत्नी श्री कोजराजसिंह जाति राजपूत निवासी राजपूतो का मौहल्ला, पीपलून तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
2. विक्रमसिंह पुत्र कोजराजसिंह जाति राजपूत निवासी पीपलून तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. सुकीदेवी पत्नी अर्जुनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी पीपलून तहसील सिवाना जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :–

1. श्री नेहपालसिंह अधिवक्ता प्रार्थिनी
2. श्री बलवन्तसिंह भाटी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 व 3

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 23.04.2025

प्रार्थिनी ने यह प्रार्थना पत्र रा.भू.अ.की धारा 136 के तहत पेश किया है। संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी की सहखातेदारी की भूमि खसरा संख्या 164 व 236 रकबा 1.2520 व 0.8726 हैक्टेयर ग्राम पीपलून तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थिनी काबिज होकर काश्त करती आ रही है। प्रार्थिनी के अन्य समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, जनआधार कार्ड,बैंक पास बुक आदि में उसका वास्तविक नाम ''चुन कंवर पत्नी कोजराज सिंह'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थिनी का नाम ''सुन्दर कंवर पत्नी कोजसिंह '' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थिनी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रही है। अतः प्रार्थिनी का राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता [illegible]सिंह द्वारा वकालतनामा पेश कर प्रार्थिनी को प्रार्थना पत्र में अंकित अनुतोष प्रदान किये जाने हेतु मौखिक सहमति जाहिर की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक मू.अ./2025/707 दिनांक 21.04.2025 द्वारा प्रार्थिनी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थिनी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड की छाया प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.05.20 20:16:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

...दि प्रस्तुत किया तथा अपने प्रार्थिनी पत्र के समर्थन में विक्रमसिंह पुत्र कोजराजसिंह के बयान कलमबंद करवाये।

प्रार्थिनी अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थिनी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थिनी के समस्त राजकीय दस्तावेज यथा आधारकार्ड, जन आधार कार्ड में प्रार्थिनी का वास्तविक नाम ''चुन कंवर पत्नी कोजराज सिंह' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम पीपलून के खसरा संख्या 164 व 236 रकबा 1.2520 व 0.8726 हैक्टेयर में प्रार्थिनी का नाम ''सुन्दर कंवर पत्नी कोजसिंह'' लिख दिये जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थिनी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रही है।

हमने प्रार्थिनी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थिनी के आधारकार्ड, व जन आधार कार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थिनी का नाम ''चुन कंवर पत्नी कोजराज सिंह'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थिनी का नाम ''सुन्दर कंवर पत्नी कोजसिंह'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थिनी का वास्तविक नाम ''चुन कंवर पत्नी कोजराज सिंह'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पीपलून के खसरा संख्या 164 व 236 रकबा 1.2520 व 0.8726 हैक्टेयर **(वर्तमान खसरा संख्या 338 व 416 रकबा कमशः 01.2522 व 0.7923 हैक्टेयर)** भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिनी का नाम ''सुन्दर कंवर पत्नी कोजसिंह'' के स्थान पर ''चुन कंवर पत्नी कोजराज सिंह '' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 23.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.05.20 20:16:41 IST
Reason: SelfAttested